रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 1996/कार्तिक 9, 1918
No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 1996/KARTIKA 9, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1996

का.आ. 755(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना कोई ऐसी अग्रिम संविदा (अहस्तांतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं से भिन्न) जिनमें ऐसी अग्रिम संविदाएं सम्मिलित हैं जिनमें संविदा के एक या दोनों भाग लेने वाले पक्षकार विदेशी हों, गोल मिर्च (साबुत) के विक्रय या क्रय के लिये केरल राज्य को छोड़ कर भारत में किसी भी स्थान पर नहीं करेगा ।

[फा. सं. 21/(23)/आई. टी./96]
एस. सी. ब्रह्म, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1996

S.O. 755(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any forward contract (other than non-transferable specific delivery contracts) including a forward contract in which one or both the parties to the contract may be foreign participant(s), for the sale or purchase of black pepper (whole) in any place in India except in the State of Kerala.

[File No. 21/(23)/IT/96]
S.C. BRAHMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1996

का.आ. 756(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करती है कि उक्त धारा, केरल राज्य में गोल मिर्च (साबुत) से संबंधित सभी अग्रिम संविदाओं (अहस्तांतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं से भिन्न) जिनमें ऐसी अग्रिम संविदाएं सम्मिलित हैं जिनमें संविदा के एक या दोनों भाग लेने वाले पक्षकार विदेशी हों, को लागू होगी ।

[फा. सं. 21/(23)/आईटी/96]
एस. सी. ब्रह्म, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1996

S.O. 756(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Forward Contracts (Regulations) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that the said section shall apply to black pepper (whole) in the State of Kerala, with respect to all forward contracts (other than non-transferable specific delivery contracts), including forward contracts in which one or both the parties to the contract may be foreign participants (s).

[File No. 21/(23)/IT/96]
S. C. BRAHMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996